संदर्भ सं./Ref. No. एनएच/सीएस/ दिनांक/Date : 17 /04 /2025

सेवा में,

डॉ. उदय सखाराम निरगुडकर, स्वतंत्र निदेशक

17/18, पसायदान सीएचएस, संत ज्ञानेश्वर पथ,

पंचपाखड़ी ठाणे (पश्चिम),

महाराष्ट्र- 400602

विषयः एनएचपीसी लिमिटेड के बोर्ड में गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक के लिए नियुक्ति पत्र।

महोदय,

हमें आपको यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बोर्ड ने आपको, अगली आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन, दिनांक 17.09.2025 से बोर्ड में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149 (8) के साथ पठित अनुसूची IV के तहत, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति को नियुक्ति पत्र के माध्यम से औपचारिक रूप दिया जाना अपेक्षित है। इस नियुक्ति पत्र में आपकी नियुक्ति सहित निबंधन एवं शर्तों का उल्लेख किया गया है, जो इस प्रकार हैं:

क) नियुक्ति की अवधि- शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन, विद्युत मंत्रालय के दिनांक 17.04.2025 के आदेश सं. 2/13/2021 के अनुसार 1 वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक।

ख) स्वतंत्रता की घोषणा - कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं (समय-समय पर यथा संशोधित) और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 (एलओडीआर) (समय-समय पर यथा संशोधित) दोनों के अनुसार, कंपनी के बोर्ड में कार्यकाल के दौरान 'स्वतंत्र' होने के सभी मानदंडों को पूरा करना। इस संबंध में, कंपनी के बोर्ड को वार्षिक आधार पर यह पुष्टि करते हुए घोषणा प्रस्तुत करनी होगी है कि स्वतंत्रता की अपेक्षाओं को पूरा किया जा रहा है। यदि किसी भी समय परिस्थितिवश कोई परिवर्तन होता है जो स्वतंत्र निदेशक की स्थिति को प्रभावित कर सकता है, तो उसे बोर्ड के ध्यान में तुरंत लाया जाना चाहिए।

ग) बोर्ड की अपेक्षा - बोर्ड अपनी कार्यवाहियों में स्वतंत्र विचार एवं राय प्राप्त करने की अपेक्षा करता है। स्वतंत्र निदेशक से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह बोर्ड स्तर पर प्रभावी निर्णय लेने में अपना समय, विशेषज्ञता और अनुभव प्रदान करे। स्वतंत्र निदेशक से कंपनी अधिनियम, 2013 की

अनुसूची IV के तहत प्रदान किए गए स्वतंत्र निदेशकों के लिए व्यावसायिक आचरण का अनुपालन करने की अपेक्षा की जाती है।

घ) **समितियों में शामिल करना –** बोर्ड कंपनी अधिनियम, एलओडीआर की अपेक्षाओं के अनुसार या प्रशासनिक सुविधा के लिए बोर्ड की विभिन्न उप-समितियों का गठन करता है। स्वतंत्र निदेशक से समय-समय पर इन समितियों में शामिल होने की आशा की जाती है। समिति (यां) बोर्ड द्वारा अनुमोदित विचारार्थ विषय के अनुसार कार्य करती हैं। आवश्यकता के अनुसार, सदस्यता और विचारार्थ विषय को बोर्ड द्वारा समय-समय पर परिवर्तित किया जा सकता है। वर्तमान में, कंपनी की संबंधित विचारार्थ विषय के साथ निम्नलिखित समितियां हैं।

क्र.सं.	**समिति (यों) का नाम**	**विचारार्थ विषय**
1	लेखापरीक्षा समिति	**अनुलग्नक- क**
2	हितधारक संबंध समिति	
3	नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति	
4	जोखिम प्रबंधन समिति	
5	कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और संधारणीय संबंधी निदेशकों की समिति	
6	एनएचपीसी सिक्योरिटीज के आवंटन और आवंटन के बाद की गतिविधियों के लिए निदेशकों की समिति	
7	बोर्ड द्वारा अनुमोदित अनुबंधों में विचलन/परिवर्तन के अनुमोदन के लिए समिति	
8	निदेशक समिति-अपीलीय प्राधिकारी	

ङ) भूमिकाएं, कर्तव्य और दायित्व

आपकी भूमिका, कर्तव्य और दायित्व वे होंगें जो कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों और सेबी एलओडीआर, समय-समय पर यथा संशोधित के तहत एक स्वतंत्र निदेशक के लिए अपेक्षित हैं। आपके सुलभ संदर्भ के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV के साथ पठित धारा 149(8) के तहत स्वतंत्र निदेशकों के लिए संहिता की प्रति **अनुलग्नक- ख** पर संलग्न है।

I. आप कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 166 के अनुसार निम्न कार्य करेंगे:

i. कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुसार कार्य करना।

ii. समग्र रूप से अपने सदस्यों के लाभ के लिए, और कंपनी के सर्वोत्तम हित में, उसके कार्मिकों, शेयरधारकों, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए और समुदाय के सर्वोत्तम हित में कंपनी के उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए सद्भावपूर्वक कार्य करना।

iii. यथोचित और उचित दायित्व, कौशल और परिश्रम के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करना।

iv. ऐसी स्थिति में स्वयं को शामिल न करें जिसमें आपका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित हो सकता है जो कंपनी के हितों का टकराव करता है, या संभवतः संघर्ष हो सकता है।

v. अपने या अपने रिश्तेदारों, भागीदारों या सहयोगियों को कोई अनुचित लाभ या लाभ प्राप्त करने या प्राप्त करवाने का प्रयास नहीं करेंगे।

vi. निदेशक के रूप में अपने कार्यालय को न सौंपें और इस प्रकार किया गया कोई भी कार्य अमान्य होगा।

II. निदेशक के दायित्व -

क) बोर्ड और समितियों की कार्यवाही की गोपनीयता सुनिश्चित करें।

ख) 'प्रतिभूतियों की इनसाइडर ट्रेडिंग' में प्रवेश नहीं करना। कंपनी के पास 'विनियमन हेतु आचार संहिता, नामित व्यक्तियों और नामित व्यक्तियों के निकटतम रिश्तेदारों और आंतरिक व्यक्तियों द्वारा व्यापार की निगरानी और रिपोर्ट करना' और 'अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी के निष्पक्ष प्रकटीकरण के लिए आचरण संहिता और प्रक्रिया' जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह अपेक्षित है कि कीमत-संवेदनशील जानकारी का उपयोग या प्रसारण ना किया जाए और इसका सुरक्षित रूप से रखरखाव किया जाए। जब जानकारी आपके अधिकार में हो, आप कीमत संवेदनशील जानकारी की गोपनीयता को हमेशा बनाए रखेंगे। आचार संहिता अलग से दी जाएगी।

ग) कंपनी और इसकी सहायक कंपनी और/या सहयोगी कंपनी की प्रतिभूतियों के लेन-देन में शामिल नहीं होना।

च) निदेशकों और अधिकारियो (डी एंड ओ) का बीमा- कंपनी ने वार्षिक नवीकरणीय डी एंड ओ बीमा पॉलिसी ली है। इस पॉलिसी में कंपनी के सभी निदेशकों और अधिकारियों को कवर किया गया है।

छ) व्यापार आचार संहिता– कंपनी के पास एनएचपीसी के निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक द्वारा पालन की जाने वाली एक आचार संहिता है और इसे कंपनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है। यह आचार संहिता अलग से उपलब्ध कराई जाएगी। इस संहिता में नियत सिद्धांत अनुपालन और नैतिकता के व्यापक मानकों को निर्धारित करते हैं। इस संहिता का उद्देश्य कंपनी के मामलों के प्रबंधन में नैतिक और पारदर्शी प्रक्रिया को बढ़ाना है।

ज) पारिश्रमिक एवं व्यय

I. आपको बोर्ड और बोर्ड द्वारा समय-समय पर लागू कानून के अनुपालन में गठित की गई समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए बैठक शुल्क के रूप में पारिश्रमिक दिया जाएगा।
II. वर्तमान में स्वतंत्र निदेशकों को भुगतान किए जाने वाला बैठक शुल्क बोर्ड की प्रत्येक बैठक के लिए 40,000 रुपए तथा बोर्ड स्तरीय समिति या बोर्ड द्वारा गठित किसी अन्य समिति की प्रत्येक बैठक के लिए 30,000 रुपए है।
III. बैठक शुल्क के भुगतान के अतिरिक्त, कंपनी के पूर्णकालिक निदेशकों के लिए लागू मौजूदा प्रावधानों के अनुसार आप बोर्ड और समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए भोजन, आवास और यात्रा व्यय के लिए पात्र होंगे।

i) स्वतंत्र निदेशकों के लिए परिचय कार्यक्रम

कॉर्पोरेट अभिशासन मानदंडों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए, कंपनी को विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से स्वतंत्र निदेशकों को कंपनी, उनकी भूमिकाओं, अधिकारों, कंपनी में जिम्मेदारियों, कंपनी द्वारा संचालित उद्योग की प्रकृति, कंपनी के व्यापार मॉडल आदि के बारे में परिचित कराना आवश्यक है। कंपनी बोर्ड के सदस्यों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित/प्रायोजित करेगी। बोर्ड/समिति के सदस्य के रूप में, आप ऐसे परिचय कार्यक्रमों में भाग लेने का प्रयास करेंगे।

झ) गोपनीयता

i. निदेशक के रूप में आपकी भूमिका में कंपनी और उसके मामलों के बारे में गोपनीय जानकारी आपके पास रहेगी। आप उस जानकारी का उपयोग केवल अपने कर्तव्यों के उचित निष्पादन में या विधि द्वारा अपेक्षित रूप में ही कर सकते हैं; आपको इसका उपयोग स्वयं या दूसरों के लाभ के लिए या कंपनी को हानि पहुंचाने के लिए नहीं करेंगे।
ii. निदेशक के रूप में, आप अधिनियम और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ("सेबी") द्वारा जारी विनियमों के तहत निर्धारित आंतरिक व्यापार और अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी के प्रकटीकरण संबंधी निषेध और प्रतिबंधों के अधीन और उनसे आबद्ध हैं। आपको सेबी (आंतरिक व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015 (समय-समय पर संशोधित या प्रतिस्थापित) के अनुसार बनाए गए 'नामित व्यक्तियों और नामित व्यक्तियों और आंतरिक लोगों के निकट रिश्तेदारों द्वारा व्यापार को विनियमित करने, निगरानी करने और रिपोर्ट करने के लिए आचार संहिता' और 'अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी के निष्पक्ष प्रकटीकरण के लिए आचरण संहिता और प्रक्रियाओं' का सख्ती से अनुपालन करना होगा।

ञ) बोर्ड द्वारा मूल्यांकन

कंपनी "बोर्ड, बोर्ड स्तरीय समितियों और कंपनी के निदेशकों के निष्पादन मूल्यांकन नीति" के अनुसार वार्षिक आधार पर समग्र रूप से बोर्ड, बोर्ड समितियों और निदेशकों के निष्पादन का मूल्यांकन करेगी।

ट) सेवा समाप्ति

i. आप किसी भी समय अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं और यदि आप ऐसा करना चाहते हैं तो आपसे अनुरोध है कि इस्तीफे का कारण बताते हुए विद्युत मंत्रालय और बोर्ड को यथोचित लिखित रूप में सूचना दें।

ii. आपकी नियुक्ति का विस्तार इस बात पर निर्भर है कि आप स्वतंत्र निदेशक के रूप में बने रहने के लिए तैयार हैं या नहीं, तथा शेयरधारकों द्वारा लागू कानूनों के अनुसार आपको पुनः नियुक्त किया जाता है या नहीं।

ठ) विविध:

i. आपकी नियुक्ति अधिनियम और एलओडीआर के प्रावधानों सहित लागू कानूनों के अंतर्गत अधिकतम स्वीकार्य निदेशक पदों के अधीन है।

ii. आप कंपनी के कार्मिक नहीं होंगे और यह पत्र रोजगार का अनुबंध नहीं माना जाएगा।

iii. आप सात से अधिक सूचीबद्ध संस्थाओं में स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्य नहीं करेंगे: बशर्ते कि यदि आप किसी सूचीबद्ध संस्था में पूर्णकालिक निदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो आप तीन से अधिक सूचीबद्ध संस्थाओं में स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्य नहीं करेंगे।

सूचीबद्ध संस्थाओं की संख्या, जिनमें व्यक्ति निदेशक/स्वतंत्र निदेशक है, की गणना उन संस्थाओं के संचयी होगी जिनके इक्विटी शेयर स्टॉक एक्सचेंज तथा उच्च मूल्य वाली ऋण सूचीबद्ध संस्थाओं में सूचीबद्ध हैं।

iv. आप दस से अधिक समितियों में सदस्य के रूप में कार्य नहीं करेंगे या सभी सूचीबद्ध संस्थाओं में पाँच से अधिक समितियों के अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं करेंगे, जिनमें आप निदेशक हैं, जिसका निर्धारण निम्नानुसार किया जाएगा:

क. सभी सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों में, चाहे वे सूचीबद्ध हों या नहीं, किसी निदेशक द्वारा सेवा दी जा सकने वाली समितियों की सीमा को इसमें शामिल किया जाएगा तथा निजी लिमिटेड कंपनियों, विदेशी कंपनियों और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अंतर्गत आने वाली कंपनियों सहित सभी अन्य कंपनियों को इससे बाहर रखा जाएगा।

ख. सीमा के निर्धारण के प्रयोजन के लिए केवल लेखापरीक्षा समिति और हितधारक संबंध समिति की अध्यक्षता और सदस्यता पर ही विचार किया जाएगा।

आपकी नियुक्ति, पारिश्रमिक, व्यावसायिक आचार संहिता, भूमिकाएं, कार्य, कर्तव्य और दायित्वों सहित उल्लिखित सभी नियम और शर्तें कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं के अधीन होंगी, साथ ही इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों (इस समय लागू किसी भी वैधानिक संशोधन सहित) और समय-समय पर संशोधित एलओडीआर की कॉर्पोरेट अभिशासन आवश्यकताओं के अनुसार होंगी।

धन्यवाद,

भवदीय,

हस्ता/-

(राज कुमार चौधरी)

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

डीआईएन: 10198931

संलग्न: उपरोक्तानुसार।

नोट :अंग्रेजी या हिन्दी पत्र के अर्थ मे कोई विसंगति होने पर, अंग्रेजी पत्र का अर्थ मान्य होगा।

एनएचपीसी लिमिटेड के निदेशक मंडल की समितियों के विचारार्थ विषय

(i) लेखापरीक्षा समिति के विचारार्थ विषय:

1. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया और उसकी वित्तीय जानकारी के प्रकटीकरण की निगरानी करना ताकि यह सुनिश्चित कर सके कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त और विश्वसनीय है ।
2. बोर्ड को लेखापरीक्षा शुल्क के निर्धारण की सिफारिश करना ।
3. सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रदान की गई अन्य सेवाओं के लिए लेखापरीक्षकों को भुगतान की स्वीकृति देना ।
4. प्रबंधन के साथ वित्तीय विवरणों और लेखापरीक्षक की तत्संबंधी रिपोर्ट की समीक्षा अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करने से पहले , निम्नलिखित विशेष संदर्भ में:

    क) बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल किए जाने के लिए निदेशकों के उत्तरदायित्व विवरण में शामिल किए जाने वाले अपेक्षित मामले;
    ख) लेखांकन नीतियों एवं प्रथाओं और उसके कारणों में परिवर्तन, यदि कोई हो;
    ग) प्रबंधन द्वारा निर्णय के प्रयोग के आधार पर अनुमानों को शामिल करने वाली प्रमुख लेखा प्रविष्टियां;
    घ) लेखापरीक्षा निष्कर्षों से उत्पन्न वित्तीय विवरणों में किए गए महत्वपूर्ण समायोजन;
    ङ) वित्तीय विवरणों से संबंधित लिस्टिंग और अन्य विधिक अपेक्षाओं का अनुपालन;
    च) किसी भी संबंधित पार्टी लेनदेन का प्रकटीकरण; और
    छ) मसौदा लेखापरीक्षा रिपोर्ट में संशोधित अभिमत

5. अनुमोदन के लिए बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले प्रबंधन के साथ तिमाही वित्तीय विवरणों की समीक्षा करना ।
6. प्रबंधन के साथ, सांविधिक और आंतरिक लेखा परीक्षकों के प्रदर्शन, आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता की समीक्षा करना ।
7. आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग की संरचना, स्टाफिंग और विभाग के प्रमुख अधिकारी की वरिष्ठता, रिपोर्टिंग संरचना कवरेज, और आंतरिक लेखापरीक्षा की आवृत्ति सहित आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य की पर्याप्तता, यदि कोई हो, की समीक्षा करना ।
8. किसी महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर आंतरिक लेखापरीक्षकों और/या लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा और उस पर अनुवर्ती कार्रवाई करना ।
9. आंतरिक लेखा परीक्षकों / लेखा परीक्षकों / एजेंसियों द्वारा किसी भी आंतरिक जांच के निष्कर्षों की समीक्षा करना जहां संदिग्ध धोखाधड़ी या अनियमितता या भौतिक प्रकृति की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की विफलता है, और उक्त मामले को बोर्ड को रिपोर्ट करना ।
10. लेखा परीक्षा की प्रकृति और कार्य क्षेत्र के साथ-साथ किसी भी अन्य क्षेत्र पर पोस्ट ऑडिट चर्चाए लेखापरीक्षा शुरू होने से पहले सांविधिक लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा करना ।
11. जमाकर्ताओं, डिबेंचर धारकों, शेयरधारकों (घोषित लाभांश का भुगतान न करने की स्थिति में) और लेनदारों को भुगतान में पर्याप्त चूक के कारणों की जांच करना ।
12. व्हिसल ब्लोअर तंत्र के कार्य प्रणाली की समीक्षा करना ।
13. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी एंड एजी) की लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना ।

14. संसद की सार्वजनिक उपक्रम समिति (सीओपीयू) की सिफारिशों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना ।
15. स्वतंत्र लेखा परीक्षकों, आंतरिक लेखा परीक्षकों और निदेशक मंडल के बीच संचार का एक खुला अवसर प्रदान करना ।
16. संबंधित पक्षों के साथ कंपनी के लेनदेन की स्वीकृति या बाद में कोई संशोधन करना ।
17. कवरेज, अनावश्यक प्रयासों में कमी और सभी लेखापरीक्षा संसाधनों के प्रभावी उपयोग की पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए लेखापरीक्षा प्रयासों के समन्वय की स्वतंत्र लेखापरीक्षक के साथ समीक्षा करना ।
18. स्वतंत्र लेखा परीक्षक और प्रबंधन के साथ निम्नलिखित पर विचार करना और उसकी समीक्षा करना:
    क) कम्प्यूटरीकृत सूचना प्रणाली नियंत्रण और सुरक्षा सहित आंतरिक नियंत्रणों की पर्याप्तता और
    ख) प्रबंधन की प्रतिक्रियाओं के साथ स्वतंत्र लेखा परीक्षक और आंतरिक लेखा परीक्षक के संबंधित निष्कर्ष और सिफारिशें ।
19. प्रबंधन, आंतरिक लेखा परीक्षक और स्वतंत्र लेखा परीक्षक के साथ निम्नलिखित पर विचार करना और उसकी समीक्षा करना:
    क) पिछली लेखापरीक्षा सिफारिशों की स्थिति सहित वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण निष्कर्ष, और
    ख) गतिविधियों के कार्य क्षेत्र या आवश्यक जानकारी तक पहुंच पर किसी भी प्रतिबंध सहित लेखापरीक्षा कार्य के दौरान आने वाली कोई भी कठिनाई ।
20. लेखापरीक्षक की स्वतंत्रता और प्रदर्शन और लेखापरीक्षा प्रक्रिया की प्रभावशीलता की समीक्षा और निगरानी करना ।
21. इंटर-कॉर्पोरेट ऋणों और निवेशों की संवीक्षा करना ।
22. कंपनी के उपक्रमों या परिसंपत्तियों का मूल्यांकन करना, जहां कहीं आवश्यक हो ।
23. आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन करना ।
24. किसी निर्गम (सार्वजनिक निर्गम, अधिकार निर्गम, अधिमान्य निर्गम, आदि) के माध्यम से जुटाई गई निधियों के उपयोग/अनुप्रयोग के विवरण, प्रबंधन के साथ समीक्षा करना, प्रस्ताव दस्तावेज़/विवरणिका में बताए गए उद्देश्यों के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग की गई निधियों का विवरण और सार्वजनिक या राइट इश्यू की आय के उपयोग की निगरानी करने वाली निगरानी एजेंसी द्वारा नोटिस प्रस्तुत करना और इस मामले में कदम उठाने के लिए बोर्ड को उचित सिफारिशें करना ।
25. बोर्ड के साथ कंपनी के लागत लेखापरीक्षकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक की सिफारिश करना ।
26. निम्नलिखित की समीक्षा करना :
    i) प्रबंधन चर्चा और वित्तीय स्थिति और प्रचालन के परिणामों का विश्लेषण ।
    ii) सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा जारी किया गया प्रबंधन का पत्र/आंतरिक नियंत्रण कमियों से संबंधी पत्र;
    iii) आंतरिक नियंत्रण कमियों से संबंधित आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट ।
27. मुख्य आंतरिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति और इन्हे पद से हटाने की समीक्षा ।
28. कंपनी द्वारा ऋण और/या अग्रिम/निवेश सहायक कंपनी में 100 करोड़ रुपये से अधिक या सहायक कंपनी की संपत्ति के आकार के 10%, जो भी कम हो, में उपयोग की समीक्षा करना।
29. वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा करना ।

30. यह सत्यापित करना कि सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015 में दी गई अपेक्षाओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक नियंत्रण के लिए प्रणाली पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से कार्य कर रही हैं।
31. उम्मीदवार की योग्यता, अनुभव और पृष्ठभूमि आदि का आकलन करने के बाद मुख्य वित्तीय अधिकारी की नियुक्ति की स्वीकृति देना ।
32. कंपनी और उसके शेयरधारकों पर विलयन, डीमर्जर, समामेलन आदि से जुड़ी योजनाओं के औचित्य, लागत-लाभ और प्रभाव पर विचार करना और उस पर टिप्पणी करना ।
33. कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 और डीपीई द्वारा जारी कॉरपोरेट गवर्नेंस की दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार लेखा परीक्षा समिति के विचारार्थ विषय में उल्लिखित किसी भी अन्य कार्य को करना ।

****

(ii)नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के विचारार्थ विषय

1. निदेशक की सकारात्मक विशेषताओं और स्वतंत्रता को निर्धारित करने के लिए मानदंड तैयार करना।
2. प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों सहित बोर्ड और बोर्ड स्तर के नीचे स्तर के कर्मचारियों के लिए वार्षिक बोनस/प्रदर्शन संबंधी वेतन (पीआरपी) के वितरण की सिफारिश करना और इसके वितरण के लिए नीति बनाना।
3. स्वतंत्र निदेशकों और बोर्ड के मूल्यांकन के लिए मानदंड तैयार करना।
4. बोर्ड विविधता पर नीति बनाना।
5. उन व्यक्तियों की पहचान करना जिन्हें निर्धारित मानदंडों के अनुसार वरिष्ठ प्रबंधन में नियुक्त किया जा सकता है और बोर्ड को उनकी नियुक्ति और इन्हे हटाने की सिफारिश करना।
6. अनुमोदन के लिए निदेशक मंडल हेतु अन्य भत्तों और अनुलाभों आदि की जांच करना और अनुशंसा करना।
7. बोर्ड को वरिष्ठ प्रबंधन के सभी पारिश्रमिक, चाहे किसी भी रूप में हो, की सिफारिश करना।
8. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति स्वतंत्र निदेशक की प्रत्येक नियुक्ति के लिए, बोर्ड में कौशल, विवेक और अनुभव के संतुलन का मूल्यांकन करेगी और इस तरह के मूल्यांकन के आधार पर, एक स्वतंत्र निदेशक की आवश्यक भूमिका और क्षमताओं का विवरण तैयार करेगी।
9. कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 और डीपीई द्वारा जारी कॉरपोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों के प्रावधानों के तहत किसी अन्य कार्य, जैसा अपेक्षित हो, को करना।

(iii) हितधारकों की संबंध समिति के Terms of Reference:

1. Resolving the grievances of the security holders including complaints related to transfer/transmission of shares, non-receipt of annual report, non-receipt of declared dividends, issue of new/duplicate certificates, general meetings etc.
2. Review of measures taken for effective exercise of voting rights by shareholders.
3. Review of adherence to the service standards adopted in respect of various services being rendered by the Registrar & Share Transfer Agent.
4. Review of the various measures and initiatives taken for reducing the quantum of unclaimed dividends and ensure timely receipt of dividend warrants/annual reports/statutory notices by the shareholders of the company.
5. To periodically review NHPC Stakeholder Engagement Policy and its proper implementation with respect to its suitability and effectiveness.
6. To Carry out any other function, as required by the provisions of the Companies Act, 2013, SEBI (LODR) and Corporate Governance Guidelines issued by DPE.

(iv) जोखिम प्रबंधन समिति के विचारार्थ विषय:

1. एक विस्तृत जोखिम प्रबंधन नीति तैयार करना जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:
   (क) वित्तीय, परिचालन, क्षेत्रीय, संधारणीयता (विशेष रूप से, ईएसजी से संबंधित जोखिम), सूचना, साइबर सुरक्षा जोखिम या समिति द्वारा निर्धारित किया कोई अन्य जोखिम सहित विशेष रूप से कंपनी द्वारा सामना किए जाने वाले आंतरिक और बाहरी जोखिमों की पहचान करने के लिए एक संरचना बनाना ।
   (ख) पहचाने गए जोखिमों के आंतरिक नियंत्रण के लिए प्रणालियों और प्रक्रियाओं सहित जोखिम कम करने के उपाय करना ।
   (ग) व्यापार निरंतरता योजना ।
2. यह सुनिश्चित करना कि कंपनी के व्यवसाय से जुड़े जोखिमों की निगरानी एवं मूल्यांकन के लिए उपयुक्त कार्यप्रणाली, प्रक्रियाएं और प्रणालियां मौजूद हैं;
3. जोखिम प्रबंधन प्रणाली की पर्याप्तता का मूल्यांकन करने सहित जोखिम प्रबंधन नीति के कार्यान्वयन की निगरानी एवं पर्यवेक्षण करना ।
4. दो वर्ष में कम से कम एक बार, उद्योग की बदलती गतिशीलता और उभरती जटिलता पर विचार करने सहित जोखिम प्रबंधन नीति की समय समय पर समीक्षा करना
5. निदेशक मंडल को अपनी चर्चाओं, सिफारिशों और की जाने वाली कार्रवाइयों की प्रकृति और प्रकरण के बारे में सूचित करना;
6. मुख्य जोखिम अधिकारी (यदि कोई हो) की नियुक्ति, निष्कासन और पारिश्रमिक की शर्तें जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा समीक्षा के अधीन होंगी ।
7. किसी भी सार्वजनिक दस्तावेज़ या प्रकटीकरण में जोखिम प्रकटीकरण विवरणों का अनुमोदन और इसकी समीक्षा करना ।
8. कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (एलओडीआर) और डीपीई द्वारा जारी कॉरपोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों के प्रावधानों के तहत किसी अन्य कार्य, जैसा अपेक्षित हो, को करना ।

(v) कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं संधारणीयता संबंधी निदेशकों की समिति के विचारार्थ विषय:

1. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं संधारणीयता नीति, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में निर्दिष्ट कंपनी द्वारा की जाने वाली गतिविधियों को इंगित करेगी, को तैयार करना और बोर्ड को उस पर अनुशंसा करना;
2. कंपनी की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं संधारणीयता नीति की समय-समय पर निगरानी करना;
3. क्रम. सं. 1 में निर्दिष्ट गतिविधियों पर व्यय की जाने वाली राशि की सिफारिश करना;
4. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के दायरे में आने वाली सीएसआर परियोजनाओं/कार्यक्रमों/प्रस्तावों पर सिफारिश की समीक्षा करना;
5. सीएसआर नीति और सीएसआर नियमावली, समय-समय पर यथा संशोधित के अनुसरण में एक वार्षिक कार्य योजना तैयार करना और बोर्ड को इस पर सिफारिश करना ।
6. कंपनी द्वारा शुरू की गई सीएसआर परियोजनाओं/कार्यक्रमों/गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए एक निगरानी तंत्र स्थापित करना;
7. कंपनी की सीएसआर पहलों पर रणनीति तैयार करने के लिए निदेशक मंडल को सहयोग देना;
8. नियमावली में दिए गए प्रपत्र के अनुसार सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट की सामग्री को अनुमोदित करना, और अन्य बातों के साथ-साथ इस उत्तरदायित्व बयान को शामिल करना कि सीएसआर नीति का कार्यान्वयन एवं निगरानी, कंपनी के सीएसआर उद्देश्यों और नीति के अनुपालन में है;
9. निदेशक मंडल को उनकी जानकारी, विचार और आवश्यक निर्देशों के लिए समय-समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना;
10. वार्षिक व्यापार उत्तरदायित्व एवं संधारणीयता रिपोर्ट को अनुमोदित करना, और
11. समय-समय पर संशोधित कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति संबंधी अन्य अपेक्षाओं का अनुपालन करना ।

(vi) एनएचपीसी प्रतिभूतियों के आवंटन और आवंटन पश्चात की गतिविधियों के लिए निदेशकों की समिति के विचारार्थ विषय:

1. प्रतिभूतियों से संबंधित सर्टिफिकेटस   को जारी करना;
2. प्रतिभूतियों का स्तांतरण और संचारण;
3. प्रतिभूति प्रमाणपत्र(त्रों) का पुन: भौतिकीकरण;
4. प्रतिभूतियों से संबंधित डुप्लीकेट सर्टिफिकेटस जारी करना; और
5. एनएचपीसी की प्रतिभूतियों का समेकन/विभाजन ।

(vii) अपीलीय प्राधिकारी के विचारार्थ विषय:

समिति को सीडीए नियमों के संदर्भ में उसके समक्ष रखे गए मामलों के लिए अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करना है ।

नोट: इस दस्तावेज के अंग्रेजी और हिन्दी संस्करण के बीच किसी भी विसंगतियों के मामले में, दस्तावेज का अंग्रेजी संस्करण लागू होगा।

ANNEXURE-B

SCHEDULE IV

[*See* section 149(8)]

CODE FOR INDEPENDENT DIRECTORS

The Code is a guide to professional conduct for independent Directors. Adherence to these standards by independent Directors and fulfilment of their responsibilities in a professional and faithful manner will promote confidence of the investment community, particularly minority shareholders, regulators and companies in the institution of independent Directors.

I. Guidelines of professional conduct:

An independent director shall:

(1) uphold ethical standards of integrity and probity;

(2) act objectively and constructively while exercising his duties;

(3) exercise his responsibilities in a *bona fide* manner in the interest of the company;

(4) devote sufficient time and attention to his professional obligations for informed and balanced decision making;

(5) not allow any extraneous considerations that will vitiate his exercise of objective independent judgment in the paramount interest of the company as a whole, while concurring in or dissenting from the collective judgment of the Board in its decision making;

(6) not abuse his position to the detriment of the company or its shareholders or for the purpose of gaining direct or indirect personal advantage or advantage for any associated person;

(7) refrain from any action that would lead to loss of his independence;

(8) where circumstances arise which make an independent director lose his independence, the independent director must immediately inform the Board accordingly;

(9) assist the company in implementing the best corporate governance practices.

II. Role and functions:

The independent Directors shall:

(1) help in bringing an independent judgment to bear on the Board's deliberations especially on issues of strategy, performance, risk management, resources, key appointments and standards of conduct;

(2) bring an objective view in the evaluation of the performance of board and management;

(3) scrutinise the performance of management in meeting agreed goals and objectives and monitor the reporting of performance;

(4) satisfy themselves on the integrity of financial information and that financial controls and the systems of risk management are robust and defensible;

(5) safeguard the interests of all stakeholders, particularly the minority shareholders;

(6) balance the conflicting interest of the stakeholders;

(7) determine appropriate levels of remuneration of executive Directors, key managerial personnel and senior management and have a prime role in appointing and where necessary recommend removal of executive Directors, key managerial personnel and senior management;

(8) moderate and arbitrate in the interest of the company as a whole, in situations of conflict between management and shareholder's interest.

III. Duties :

The independent Directors shall—

(1) undertake appropriate induction and regularly update and refresh their skills, knowledge and familiarity with the company;

(2) seek appropriate clarification or amplification of information and, where necessary, take and follow appropriate professional advice and opinion of outside experts at the expense of the company;

(3) strive to attend all meetings of the Board of Directors and of the Board committees of which he is a member;

(4) participate constructively and actively in the committees of the Board in which they are chairpersons or members;

(5) strive to attend the general meetings of the company;

(6) where they have concerns about the running of the company or a proposed action, ensure that these are addressed by the Board and, to the extent that they are not resolved, insist that their concerns are recorded in the minutes of the Board meeting;

(7) keep themselves well informed about the company and the external environment in which it operates;

(8) not to unfairly obstruct the functioning of an otherwise proper Board or committee of the Board;

(9) pay sufficient attention and ensure that adequate deliberations are held before approving related party transactions and assure themselves that the same are in the interest of the company;

(10) ascertain and ensure that the company has an adequate and functional vigil mechanism and to ensure that the interests of a person who uses such mechanism are not prejudicially affected on account of such use;

(11) report concerns about unethical behaviour, actual or suspected fraud or violation of the company's code of conduct or ethics policy;

(12) [1]["acting within his authority"], assist in protecting the legitimate interests of the company, shareholders and its employees;
(13) not disclose confidential information, including commercial secrets, technologies, advertising and sales promotion plans, unpublished price sensitive information, unless such disclosure is expressly approved by the Board or required by law.

IV. Manner of appointment:

(1) Appointment process of independent Directors shall be independent of the company management; while selecting independent Directors the Board shall ensure that there is appropriate balance of skills, experience and knowledge in the Board so as to enable the Board to discharge its functions and duties effectively.

(2) The appointment of independent director(*s*) of the company shall be approved at the meeting of the shareholders.
(3) The explanatory statement attached to the notice of the meeting for approving the appointment of independent director shall include a statement that in the opinion of the Board, the independent director proposed to be appointed fulfils the conditions specified in the Act and the rules made thereunder and that the proposed director is independent of the management.

(4) The appointment of independent Directors shall be formalised through a letter of appointment, which shall set out :

(a) the term of appointment;

(b) the expectation of the Board from the appointed director; the Board-level committee(*s*) in which the director is expected to serve and its tasks;
(c) the fiduciary duties that come with such an appointment along with accompanying liabilities;

(d) provision for Directors and Officers (*D and O*) insurance, if any;
(e) the Code of Business Ethics that the company expects its Directors and employees to follow;

(f) the list of actions that a director should not do while functioning as such in the company; and

(g) the remuneration, mentioning periodic fees, reimbursement of expenses for participation in the Boards and other meetings and profit related commission, if any.

(5) The terms and conditions of appointment of independent Directors shall be open for inspection at the registered office of the company by any member during normal business hours.

(6) The terms and conditions of appointment of independent Directors shall also be posted on the company's website.

V. Re-appointment:

The re-appointment of independent director shall be on the basis of report of performance evaluation.

VI. Resignation or removal:

(1) The resignation or removal of an independent director shall be in the same manner as is provided in sections 168 and 169 of the Act.

(2) An independent director who resigns or is removed from the Board of the company shall be replaced by a new independent director within [2]["three months"] from the date of such resignation or removal, as the case may be..
(3) Where the company fulfils the requirement of independent Directors in its Board even without filling the vacancy created by such resignation or removal, as the case may be, the requirement of replacement by a new independent director shall not apply.

VII. Separate meetings:

(1) The independent Directors of the company shall hold at least one meeting [3]["in a financial year"], without the attendance of non-independent Directors and members of management;
(2) All the independent Directors of the company shall strive to be present at such meeting;

(3) The meeting shall:

(*a*) review the performance of non-independent Directors and the Board as a whole;
(*b*) review the performance of the Chairperson of the company, taking into account the views of executive Directors and non-executive Directors;

(*c*) assess the quality, quantity and timeliness of flow of information between the company management and the Board that is necessary for the Board to effectively and reasonably perform their duties.

VIII. Evaluation mechanism:

(1) The performance evaluation of independent Directors shall be done by the entire Board of Directors, excluding the director being evaluated.

(2) On the basis of the report of performance evaluation, it shall be determined whether to extend or continue the term of appointment of the independent director.

[4][“Note: The provisions of sub-paragraph (2) and (7) of paragraph II, paragraph IV, paragraph V, clauses (a) and (b) of sub-paragraph (3) of paragraph VII and paragraph VIII shall not apply in the case of a Government company as defined under clause (45) of section 2 of the Companies Act,2013 (18 of 2013), if the requirements in respect of matters specified in these paragraphs are specified by the concerned Ministries or Departments of the Central Government or as the case may be, the State Government and such requirements are complied with by the Government companies.”]

Extracts of the provisions of the Companies Act, 2013

Section 2 (*60*) – Definition.

"officer who is in default ", "officer who is in default", for the purpose of any provision in this Act which enacts that an officer of the company who is in default shall be liable to any penalty or punishment by way of imprisonment, fine or otherwise, means any of the following officers of a company, namely:—
(i) whole-time director;
(ii) key managerial personnel;
(iii) where there is no key managerial personnel, such director or Directors as specified by the Board in this behalf and who has or have given his or their consent in writing to the Board to such specification, or all the Directors, if no director is so specified;
(iv) any person who, under the immediate authority of the Board or any key managerial personnel, is charged with any responsibility including maintenance, filing or distribution of accounts or records, authorises, actively participates in, knowingly permits, or knowingly fails to take active steps to prevent, any default;
(v) any person in accordance with whose advice, directions or instructions the Board of Directors of the company is accustomed to act, other than a person who gives advice to the Board in a professional capacity;
(vi) every director, in respect of a contravention of any of the provisions of this Act, who is aware of such contravention by virtue of the receipt by him of any proceedings of the Board or participation in such proceedings without objecting to the same, or where such contravention had taken place with his consent or connivance;
(vii) in respect of the issue or transfer of any shares of a company, the share transfer agents, registrars and merchant bankers to the issue or transfer;

Section 134 (*5*) – Financial statement, Board's report, etc.

The Directors' Responsibility Statement referred to in clause (*c*) of sub-section (*3*) shall state that—

(a) in the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures;
(b) the Directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the company at the end of the financial year and of the profit and loss of the company for that period;
(c)the Directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of this Act for safeguarding the assets of the company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;
(d) the Directors had prepared the annual accounts on a going concern basis; and
(e) the Directors, in the case of a listed company, had laid down internal financial controls to be followed by the company and that such internal financial controls are adequate and were operating effectively.

Explanation.—For the purposes of this clause, the term "internal financial controls" means the policies and procedures adopted by the company for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information;
(f) the Directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.